अध्याय 5- प्रकीर्ण

आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं.45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगें।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

16. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही आयोग के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति

17. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी विषय के लिये उपबंध हो सकेंगे, अर्थात्।

(क) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन और सदस्यों तथा धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा संबंधी अन्य निबंध तथा शर्तें।

(ख) धारा 12 की उपधारा (1) की अधीन वह प्रारूप, जिसमें लेखाओं का वार्षिक विवरण रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

(ग) धारा 13 के अधीन वह प्रारूप, जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

(घ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाये

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

18. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भुत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखा जायेगा।

व्यावृति

19. छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1983 (क्रमांक 31 सन् 1983) के निरसन के होते हुये भी, अनुसूचित जनजातियों के संबंध में उक्त निरस्त अधिनियम के अधीन गठित आयोग द्वारा की गई किसी भी बात या कार्यवाही या उसकी सिफारिश के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा की गई किसी बात या कार्रवाई के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई है।

अटल नगर, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

क्रमांक 7834/डी. 155/21-अ/ प्रारु./छ.ग. 20-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का समसंख्यक अधिनियम दिनांक 15-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रादिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव

Chapter V- Miscellaneous

Chairperson, Member, Officers and employees of the Commission to be publich Servants.

15. The Chairperon, Members, Officers and employees of the Commission shall be deeemed to be public servants within the meaning of Sections 21 of the indian pernal code, 1860 (45 of 1860)

Protection of action taken in good faith.

16. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any member, officer or employee of the Commission for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

Powers to make rules.

17. (1) The State Government may, by notification in the official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following maters, namely "-

(a) salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members under sub-section (5) of Section 4 and the

Secretary, officers and other employees under-sub-section (2) of Section 5,

(b) the form in which the annual statement of accounts sriall be prepared under sub section (1) of Section 12 :

(c) the form in and the time at, which the annual report shall be prepared under Section 13.

(d) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may after it is made on the table of the Lagislative Assembley.

Power to remover difficulties.

18. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provision, not inconsistent with the provisions of this Act as appear to is to be necessary or expendient for removing difficulty.

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall as soon as may be after it is made be laid on the table of the Lagislative Assembly.

Saving

19. Notwithstanding the repeal of the chhattisgarh Anusuchit Jati, Anusuchit Janjati Tatha Pichhada Varg Adhiniyam, 1983, 1983 (No. 34 of 1983) anything done or any action taken in respect of Scheduled Tribes by the Commission constiuted under the said respect of Scheduled Tribes by the Commission constituted under the said repealad Act or by the State Government in pursuance of its recommendation shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of thi act.